

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

आ०सं०-1/स्था०-20/2025

पटना, दिनांक.....

श्री कृष्ण कुमार, भा०प्र०से० (2017), संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विधि प्रशाखा (प्रशाखा-29) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :-1/स्था०-20/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, एन०एच० सहित, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (विधि), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :-1/स्था०-20/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- श्री कृष्ण कुमार, भा०प्र०से० (2017), संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :-1/स्था०-20/2025

3988(5)

पटना, दिनांक.....20/05/25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्र०को०)